

कार्यालय आदेश

श्रीमती प्रियंका कुमावत (लिंक नं. 43427) कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश :- दिनांक 19.06.2023 से 22.06.2023 तक (कुल 04 दिवस)

चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर

उक्त कुल 04 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्रीमती प्रियंका कुमावत की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

निदेशक महोदय से अनुमोदित है।



(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/डी.जी.एस/690  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 16-8-2023

1. कोषाधिकारी जयपुर (शहर) ।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
3. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. श्रीमती प्रियंका कुमावत (लिंक नं. 43427) कनि. लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली ।



(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)